निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0 प्र0
2–सप्रू मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक– 959 /बजट–आयोजनेत्तर–2010–11 दिनांक 21 मई, 2010.

संलग्नक में उल्लिखित जनपदों के आहरण–संवितरण अधिकारी,
एवं जनपदीय अधिकारी, उद्यान विभाग, उ0प्र0।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए अनुदान सं0–10 के अर्न्तगत आयोजनेत्तर पक्ष की योजनाओं में आवंटन विषयक।

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए अनुदान सं0–10 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक–2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा–आयोजनेत्तर–80–सामान्य–004–अनुसंधान–06–प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र योजना के विभिन्न मानक मदों में कुल रू0–2199 हजार (रू0–इक्कीस लाख निन्यानबें हजार) मात्र का आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार प्रदत्त किया जा रहा है।

शर्ते :–

1– शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों एवं वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 में निहित निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2– भण्डार क्रय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जायें।

4–बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या बी–1–1195/दस– 16/94 दिनांक 06 जून, 1994 एवं शासनादेश संख्या–सी0ए0–1191/दस–2009–मित0–1/ 2007 दिनांक 26–10–2009 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

5– वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–490/दस–2009–231/2009 दिनांक 20 मार्च, 2009 में दी गई शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन भी कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जाये। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। जिसके लिए कार्यालयाध्यक्ष/आहरण–संवितरण अधिकारी/नियन्त्रक अधिकारी एवं सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

6– निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक मासिक व्यय विवरण निदेशालय को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाये।

7– व्यय को आवंटन की सीमा तक नियन्त्रित भी रखें ।

8– उक्त आवंटित किया जा रहा बजट, बजट कन्ट्रोल पंजिका के पृष्ठ संख्या–100 पर अंकित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(रंजन मिश्र) 21/05/10
वित्त नियन्त्रक।

पृष्ठांकन संख्या– 959 /उक्त दिनांक,

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– सम्बन्धित जनपदों के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
3– सम्बन्धित उप निदेशक उद्यान, उ0प्र0।
4– संयुक्त निदेशक उद्यान/शाकभाजी/सम्बन्धित योजना अधिकारी।
5– आवंटन पत्रावली/गार्ड फाईल।

(रंजन मिश्र) 21/05/10
वित्त नियन्त्रक।

folder NP07-08

के पत्रांक–959 /बजट(आयोजनेत्तर)/आवंटन/2010–11/दिनांक 21 मई, 2010 का संलग्नक।

2010–11 के लिए अनुदान सं0–10 लेखाशीर्षक–2415–80–004–06–प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र

गत धनराशि का आवंटन प्रदत्त किया जाता है :–

(धनराशि हजार रूपये में)

र्यालय का नाम से आवंटन प्रदत्त किया जा रहा है)	कोड संख्या/मद का नाम																	योग
	02 मजदूरी	04 यात्रा भत्ता	08 कार्यालय व्यय	09 विद्युत देय	10 जलकर/ जलप्रभार	11 लेखन सामग्री	12 कार्यालय फर्नीचर	13 टेलीफान पर व्यय	15 मोटर गाड़ियों	17 किराया उप शु0	18 प्रकाशन	21 छात्रवृत्ति छात्रवेतन	26 मशीने/ सज्जा	29 अनुरक्षण	31 सामग्री/ सम्पूर्ती	42 अन्य व्यय	49 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
० सहारनपुर		2	3															5
हारनपुर	90	40	40	75		17		15						12	75	35	179	578
०सहारनपुर		2	2															4
०आगरा		1	2															3
०मथुरा		6	2															8
०औरैया		1	2															3
० इलाहाबाद		4	3															7
० इलाहाबाद		3	2															5
वि० इलाहाबाद	50	17	25			6			30			30		8	50	25		241
विशेषज्ञ झांसी	135	20	30	60		6			30			30		8	60	30		409
उ० चित्रकूट		6	5															11
०० जौनपुर		6	2															8
०गाजीपुर		3	2															5
उ० गोरखपुर		5	3															8
०महराजगंज		3	2															5
०देवरिया		7	2															9
०कुशीनगर		7	2															9
निदेशक बस्ती	115	40	40	65		17		15	30					12	75	35		444
उ० बस्ती		10	6															16
०० बस्ती		6	2															8
००सिद्धार्थ नगर		3	2															5
०० संतकबीरनगर		6	2															8
०००आजमगढ़		5	2															7
०००बलिया		4	2															6
०००मऊ		4	2															6
००० खीरी		6	2															8
०००गोण्डा		3	2															5

20/5/10

21/05/10

निदेशालय के पत्रांक–959 /बजट(आयोजनेत्तर)/आवंटन/2010–11/दिनांक 21 मई, 2010 का संलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए अनुदान सं0–10 लेखाशीर्षक–2415–80–004–06–प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र की योजनान्तर्गत धनराशि का आवंटन प्रदत्त किया जाता है :–

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम (जिसे आवंटन प्रदत्त किया जा रहा है)	कोड संख्या/मद का नाम																	योग
		02 मजदूरी	04 यात्रा भत्ता	08 कार्यालय व्यय	09 विद्युत देय	10 जलकर/ जलप्रभार	11 लेखन सामग्री	12 कार्यालय फर्नीचर	13 टेलीफान पर व्यय	15 मोटर गाड़ियों	17 किराया उप शु0	18 प्रकाशन	21 छात्रवृत्ति छात्रवेतन	26 मशीने/ सज्जा	29 अनुरक्षण	31 सामग्री/ सम्पूर्ती	42 अन्य व्यय	49 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28	जि0उ0अ0बहराइच		2	2															4
29	वैज्ञानिक,ऊत्तक सम्बर्धन,लखनऊ		2	5															7
30	मु0उ0वि0 मलिहाबाद लखनऊ	120	6	25			7			30					8	60	30	71	357
	योग–	510	230	223	200		53		30	120			60		48	320	155	250	2199

(कुल आवंटित की जा रही धनराशि रू0 इक्कीस लाख निन्नावे हजार मात्र)

20/5/10 84

(रंजन मिश्रा) 21/05/10

वित्त नियंत्रक